सांसद के कहने पर सीएमओ के आदेश के बाद भी नहीं हटी अवैध होर्डिंग...

शासन के निर्देश की खुलेआम धज्जियां उड़ा अवैध होर्डिंग से पटा शहर, होर्डिंग हटाने सीएमओ के आदेश की समाप्त हुई समयसीमा, जिम्मेदार बने लापरवाह

नवभारत न्यूज

सीधी 2 नवम्बर। सांसद के निर्देश और सीएमओ के आदेश के बाद भी अवैध होर्डिंग नहीं हटी। शासन के निर्देश की खुलेआम धज्जियां उड़ा अवैध होर्डिंग से शहर पटा है। होर्डिंग हटाने सीएमओ के आदेश की समय सीमा समाप्त हो चुकी है फिर भी जिम्मेदार लापरवाह बने हैं।

नगर पालिका परिषद सीधी की मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती मिनी अग्रवाल द्वारा शहर में लगे अवैध होर्डिंग तत्काल हटवाये जाने के लिये अतिक्रमण प्रभारी मंगलेश्वर सिंह को 29 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश क्रमांक 4871/राजस्व/न.पा./2025 में तीन दिवस में शहर में लगे अवैध होर्डिंग्स तत्काल हटाने के आदेश दिए गए थे। आदेश में कहा गया था कि यूनिक एडवरटाइजिंग को शहर में यूनीपोल लगाए जाने का कार्यादेश प्राप्त है। ऐसे में शहर में लगी अवैध होर्डिंग्स हटवाए जाने की मांग की गई है। उक्त मांग के तारतम्य में आदेशित किया जाता है कि तीन दिवस के अंदर शहर में लगी अवैध होर्डिंग्स तत्काल हटवाया जाना सुनिश्चित करें। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा निर्धारित की गई तीन दिवसीय समयसीमा भी बीत चुकी है फिर भी अतिक्रमण प्रभारी द्वारा आज तक कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं समझी गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि शहर में मीडिया नियम 2017 के बाद से लग रही अवैध होर्डिंग्स को लेकर सियासी दबाव बना हुआ है। जिसके चलते कार्रवाई न होने के बावजूद संबंधित के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है।

बताते चलें कि शहर में अवैध होर्डिंग्स लगाने का सिलसिला अनवरत रूप से वर्ष 2018 से चल रहा है। अवैध होर्डिंग्स लगने के कारण शासन को लाखों रुपए प्रति माह की राजस्व चपत हो रही है। अवैध होर्डिंग्स शहर में लगाए जाने का विरोध लंबे अरसे से हो रहा था। यहां तक कि नगर पालिका के अधिकांश पार्षद भी शहर में लग रही अवैध होर्डिंग्स को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। फिर भी नगर पालिका का संबंधित अमला कार्रवाई करने की बजाय तरह-तरह की बहानेबाजी में उतारू है। यदि कभी कार्रवाई के लिए आदेशित भी किया जाता है तो आधा-अधूरा ही अवैध होर्डिंग्स को हटाने के लिए अभियान पूर्व में चलाया जाता था। वर्तमान में स्थिति यह है कि शहर के मुख्य चौराहों एवं सडक़ों के किनारे अवैध होर्डिंग्स लगी हुई हैं। अवैध होर्डिंग्स के चलते शहर में सड़क हादसे की संभावना बनी हुई है। ऐसा आभाष हो रहा था कि नगर पालिका का जिम्मेदार अमला शहर में लगी अवैध होर्डिंग्स को हटाने की बजाय उनको पूरी तरह से संरक्षण प्रदान कर रहा है।

आखिर किसके दबाव में नहीं हट रही अवैध होर्डिंग...

शहर में मीडिया नियम 2017 के बाद भी वर्ष 2018 से अवैध होर्डिंग्स लगाने का सिलसिला अनवरत रूप से चल रहा है। नगर पालिका द्वारा वैधानिक रूप से होर्डिंग्स लगाने के लिये ई-टेण्डरिंग के पश्चात संबंधित ठेकेदारों से अनुबंध कर काम भी सौंपा जा चुका है। फिर भी अवैध होर्डिंग को अभी तक हटाने की दिशा में कोई भी काम धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसके दबाव में शहर में अवैध होर्डिंग नहीं हटाई जा रही हैं और इनके लगाने का काम भी रात के अंधेरे में अनवरत रूप से किया जा रहा है।

इन अवैध होर्डिंग संचालकों को जारी की गई थी नोटिस

शहर में अवैध होर्डिंग लगाने के मामले में नगर पालिका द्वारा पांच संचालकों के विरूद्ध 26 सितम्बर 2025 को नोटिस जारी कर न्यूनतम 10 रूपये वर्ग फिट की दर से न्यूनतम 30 दिवस का जुर्माना राशि 6 हजार रूपये प्रति होर्डिंग तीन दिवस के अंदर नगर पालिका कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिये गये थे। यह नोटिस श्रीकांत जायसवाल उमा ग्राफिक्स, सालिक सिंह सारथी प्रेस, प्रकाश पाण्डेय, अतुल शर्मा और सुनील शुक्ला को जारी की गई थी। नोटिस की सही तरीके से तामील कर कार्रवाई करे निर्देश भी नगर पालिका के संबंधित अमले को दिये गये थे।

इनका कहना है

शहर में लगी अवैध होर्डिंग्स को हटाने के लिये व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। दिन में भीड़भाड़ सड़क में होने के कारण होर्डिंग्स हटाने में दिक्कतें हैं। अवैध होर्डिंग्स को हटाने के लिये रात में ही व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी। जल्द ही इसके लिये कार्यवाही शुरू की जायेगी।

मंगलेश्वर सिंह, अतिक्रमण प्रभारी
नगर पालिका परिषद सीधी

भुईमाड़ क्षेत्र में बेमौसम बारिश से धान की फसल चौपट, नहीं पहुंचे जिम्मेदार अधिकारी

नवभारत न्यूज

कुसमी 2 नवम्बर। जिले के आदिवासी विकासखंड कुसमी सहित भुईमाड़ क्षेत्र में लगातार तीन से चार दिनों तक हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खेतों में पकी हुई धान की फसल, जो कटाई के बाद सुखाने हेतु पड़ी थी वह भीगकर सड़ने लगी है। वहीं जिन खेतों में अब तक फसल की कटाई नहीं हुई थी, वे भी तेज हवा और वर्षा के कारण धराशायी होकर खराब हो गई हैं।

इस प्राकृतिक विपत्ति ने किसानों की सालभर की मेहनत और आशाओं को गहरी चोट दी है। किसानों का कहना है कि इस वर्ष उन्होंने अच्छी उपज की उम्मीद में कठिन परिश्रम किया था परंतु मौसम की मार ने उनकी सारी उम्मीदों को तोड़ दिया। भुईमाड़, सोनगढ़, करैल, गैवटा, केशलार और अमरोला पंचायतों में धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। बावजूद इसके अब तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने नहीं पहुंचे है। लगातार हुई बारिश से खेतों में पानी भर गया है और धान के दाने काले पड़ने लगे हैं जिससे उत्पादन में भारी गिरावट तय है। खेती पर निर्भर किसान परिवार अब आर्थिक संकट की चपेट में आ गए हैं।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि शीघ्र सर्वे कराकर उचित मुआवजा प्रदान किया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। किसानों ने शासन-प्रशासन से कर्जमुक्ति और राहत प्रदान करने की अपेक्षा की है।

मोहनिया में धूमधाम से मनी देवउठनी एकादशी, हुआ तुलसी विवाह

नवभारत न्यूज

चुरहट 2 नवम्बर। देवउठनी एकादशी चुरहट के समीप मोहनिया अंचल में धूमधाम से मनाई गई।

स्थानीय रोशनी तिवारी ने कहा कि देवउठनी एकादशी मनाने के पीछे प्राचीन परम्पराएं एवं किदवंतियां हैं। प्राचीन काल में जालंधर नामक राक्षस ने बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर और परिक्रमई था। उसकी वीरता का राज था जालंधर की पत्नी वृंदा थी। जालंधर से परेशान सभी देवगण भगवान विष्णु जी की शरण में जाते हैं और जालंधर का वध करने के लिए कहते हैं जिससे पूरे देवगण की रक्षा हो सके। मगर ऐसा तभी संभव था जब मां वृंदा का सतीत्व भंग किया जाता, क्योंकि मां वृंदा की जितनी ही सत्यता बढ़ती जाती जालंधर की शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती, फिर विष्णु भगवान ने यह विचार किया की वृंदा का सत्यता भंग करेंगे और जालंधर का वध करेंगे। जैसे ही विष्णु जी ने जालंधर के रूप में मां वृंदा के पास जाकर उनका सतीत्व सत्य भंग किया वैसे ही शिव जी ने जालंधर का वध किया और मां वृंदा यह जान गई, तो विष्णु जी को श्राप दे दिया और कहा कि जिस तरह छल से मेरे पति को मारा इसी तरह आप भी मृत्यु लोक में जन्म लेंगे और अपनी छल से पत्नी के वियोग में रहोगे और मैं श्राप देती हूं आप पत्थर बन जाओगे। तब विष्णु जी ने कहा हे वृंदा मेरा ऐसा करने से ही तुम सदैव के लिए मेरे साथ पूजी जाओगी और देवउठनी एकादशी के दिन जो भी मनुष्य शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह करेगा परमधाम को प्राप्त होगा और बिना तुलसी दल के शालिग्राम की पूजा अधूरी रहेगी।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भेंट की 15 कुर्सियां

नवभारत न्यूज

सीधी 2 नवम्बर। उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने जानकारी देकर बताया कि सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय सीधी को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से अवध बिहारी चौधरी प्रबंधक जिला अग्रणी बैंक द्वारा विधवा, वृद्धजन एवं दिव्यांगजनों की बैठक सुविधा हेतु 15 कुर्सियां प्रदान की गई।

विभाग में प्रतिदिन 25 से 30 विधवा, वृद्धजन एवं दिव्यांगजन अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु आते हैं परन्तु बैठने की पर्याप्त व्यवस्था न होने से उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कुर्सियां प्रदान किए जाने से अब हितग्राहियों को बैठने हेतु सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध हो गई है। सामाजिक न्याय विभाग एवं दिव्यांगजनों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तथा अवध बिहारी चौधरी प्रबंधक लीड बैंक सीधी के प्रति आभार व्यक्त किया है। कुर्सी वितरण के अवसर पर धनंजय मिश्रा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी, उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग सीधी तथा विभागीय स्टाफ उपस्थित रहे।

9 से 18 वर्ष के बच्चों में दिव्यांगता की पहचान के लिये 14 नवम्बर तक होंगे स्क्रीनिंग शिविर

जिले में विभिन्न स्थानों पर प्रात: 10 से सायं 4 बजे तक आयोजित किए जाएंगे शिविर

नवभारत न्यूज

सीधी 2 नवम्बर। अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि जुवेनाइल जस्टिस कमेटी, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश की अनुशंसा एवं कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले के 9 से 18 वर्ष तक के बच्चों में दिव्यांगता की त्वरित पहचान हेतु 15 सितम्बर से 14 नवम्बर 2025 तक स्क्रीनिंग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व में जारी कार्यक्रम में संशोधन करते हुए अब 3 नवम्बर से 14 नवम्बर 2025 तक के शिविरों की तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं।

उन्होंने बताया कि 3 नवम्बर को ग्राम पंचायत भवन पटपरा में शिविर आयोजित होगा, जिसमें बघमरिया, बढ़ौना, बरिगवां नं.1, हिनौती नं.1, कमर्जी, करूईखाड़, कोल्हूडीह, पड़रिया कला, पटोहा, पटपरा, सलैया, उकरहा, बघउ, चिलरीकला, धुम्मा, डिहुली, कुश्परी, लहिया, लकोड़ा, मधुगवां उत्तर, मवई, टीकटकला एवं टीकटखुर्द ग्राम सम्मिलित रहेंगे। 6 नवम्बर को ग्राम पंचायत भवन खाम्ह में शिविर होगा, जिसमें बरहाई, बरमानी, भगोहर, चौफल, कोठार, चौफाल पवई, छवारी, करवाही, खाम्ह, माटा, सलैहा, सरेठी एवं उड़ैसा क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। 7 नवम्बर को ग्राम पंचायत भवन हड़बड़ो में आयोजित शिविर में बमुरी, भाठा, छुहिया, हड़बड़ो, जमुनिहा कला, कठास, कोचिटा, पड़री, सारोकला, सतनरा पवई, सिरसी, तेगवा, बैरिहा पूर्व, बरमबाबा, विसुनीटोला, डोल कोठार, गांधीग्राम, कारीमाटी, कठौली, कोचिला, नेबुहा पश्चिम, पड़खुरी नं.1 एवं सेंदूरा क्षेत्र शामिल होंगे। 8 नवम्बर को जनपद पंचायत रामपुर नैकिन अंतर्गत ग्राम पंचायत भवन पोस्ता में शिविर होगा, जिसमें अमिलहा, बेलदह, बोकारो, चंदरेह, गोरदह, गुजरेड, हनुमानगढ़, झगरी, खैरा एवं पोस्ता सम्मिलित होंगे।

10 नवम्बर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपुर नैकिन में शिविर आयोजित होगा, जिसमें नगर परिषद क्षेत्र के समस्त वार्डों के साथ-साथ अगडाल, डिठौरा, घटोखर, घुंघुटा, झांझ, झाला, कंधवार, कुड़िया, मढ़, तितिरा शुक्लान, गोपालपुर, कटौली, पटेहरा, अमिलई, भैंसरहा, भरतपुर, बुढ़गौना, चोरगड़ी, कपुर कोठार, खारा, मझिगवां, पटना, पिपरांव, शिकारगंज, बाघड़ धवैया, बाघड़खास, बघवार, मउ, नैकिन एवं रघुनाथपुर सम्मिलित रहेंगे। 13 नवम्बर को जनपद पंचायत रामपुर नैकिन अंतर्गत ग्राम पंचायत भवन चकड़ोर में शिविर आयोजित होगा, जिसमें बडेसर, बरौ, जमुनिहा नं.2, खड्डीकला, खड्डीखुर्द, मौरा, मोहनी, पैपखरा, रतवार, रिमारी, अहिरान टोला, चकडोर, धनहा, इटहा, करौदिया, कठार, कुशमहर, मनकीसर, सतोहरी एवं उमरिहा ग्राम सम्मिलित हैं। 14 नवम्बर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चुरहट में अंतिम शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें नगर परिषद चुरहट के समस्त वार्डों के साथ कुंआ, अमरपुर, साडा, टकटैया, चंदैनिया, भेलकी, मोहनिया, बूसी, बडोखर, बड़खरा 740, बड़खरा 734, कोष्टा कोठार, झलवार, ममदर, अकौरी, डढ़िया, दुअरा, हर्दिहा पवाई, कपुरी बेदौलिहान, मड़वा, नौगवा, पचोखर, पड़खुरी 586 एवं पोडी क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं।

सभी शिविरों का आयोजन प्रात: 10 बजे से सायं 4 बजे तक किया जाएगा। इन शिविरों के माध्यम से दिव्यांगता की त्वरित पहचान कर पात्र बच्चों को शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा।

शासकीय महाविद्यालय मड़वास में म.प्र. स्थापना दिवस पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन

नवभारत न्यूज

सीधी 2 नवम्बर। मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार शासकीय महाविद्यालय मड़वास में त्रिदिवसीय मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत हर्षोल्लास के साथ की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन, मध्यप्रदेश गान एवं वंदेमातरम के सामूहिक गायन से हुआ।

इस अवसर पर मध्यप्रदेश की गौरवशाली विरासत विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित समाजसेवी के.के. मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि मध्यप्रदेश की प्रगति और समृद्धि में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रदेश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सभी की सामूहिक है।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षक धीरज नामदेव उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ.आई.पी.प्रजापति ने की। संचालन कार्यक्रम प्रभारी डॉ.दीपक अग्निहोत्री ने किया तथा आभार प्रदर्शन डॉ.निशा सिंह द्वारा किया गया। स्थापना दिवस समारोह के प्रथम दिवस के संयोजक डॉ.सुरेन्द्र गुप्ता रहे। इस अवसर पर महाविद्यालय में मध्यप्रदेश सामान्य ज्ञान क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छह छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में पुष्पेन्द्र गुप्ता ने प्रथम, अंजली सिंह ने द्वितीय तथा साक्षी शुक्ला एवं काजल गुप्ता ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि को स्मृति-चिह्न स्वरूप सिंदूर का पौधा भेंट किया गया तथा समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर डॉ.रामधारी जायसवाल, डॉ.ज्योति रजक, डॉ.राजेश पटेल, प्रो.बाबा हरिनंद, प्रो.प्रवीण कुमार, अनिल केवट सहित महाविद्यालय के अधिकारी, प्राध्यापकगण एवं छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

कोदो-कुटकी की समर्थन मूल्य पर खरीदी, 1000 प्रति क्विंटल बोनस भी

नवभारत न्यूज

सीधी 2 नवम्बर। उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने जानकारी देकर बताया है कि राज्य शासन द्वारा पहली बार कोदो और कुटकी फसलों का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की नीति लागू की गई है। यह निर्णय कोदो-कुटकी उत्पादक किसानों के हित में लिया गया एक ऐतिहासिक कदम है।

इन फसलों के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 10 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया था, जिसकी अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 09 नवंबर 2025 कर दी गई है। अत: जिले के किसान निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीयन अवश्य कराएं, ताकि उन्हें शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त हो सके। उप संचालक कृषि ने बताया कि शासन द्वारा कोदो का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रूपये प्रति क्विंटल तथा कुटकी का 3500 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त किसानों को दोनों फसलों पर 1000 रूपये प्रति क्विंटल बोनस भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने किसानों से अधिक से अधिक संख्या में पंजीयन कराने की अपील करते हुए कहा कि यह योजना कोदो-कुटकी उत्पादक किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगी। किसानों की सुविधा के लिए जिले के विभिन्न विकासखण्डों में पंजीयन केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

विकासखण्ड सीधी में गांधीग्राम एवं चौफाल कोठार, विकासखण्ड रामपुर नैकिन में कुडिया, बघवार तथा कंधवार, विकासखण्ड मझौली में ताला एवं मझौली, विकासखण्ड सिहावल में अमिलिया एवं बघोर तथा विकासखण्ड कुसमी में टमसार पंजीयन केन्द्र बनाए गए हैं। इन्हीं समितियों के माध्यम से किसानों से उपार्जन किया जाएगा।

बालक छात्रावास टमसार क्रमांक 2 में मना स्थापना दिवस

नवभारत न्यूज

कुसमी 2 नवम्बर। कुसमी विकासखंड के आदिवासी बालक जूनियर छात्रावास क्रमांक 2 टमसार में मुख्य अतिथि मकरन्द सिंह उइके सरपंच टमसार, प्राचार्य रामपाल सिंह की अध्यक्षता, अमर सिंह मरावी कृषि विस्तार अधिकारी, महेन्द्र सिंह मरावी की उपस्थिति मे मध्य प्रदेश स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया।

इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता एवं विशेष भोज के साथ छात्रों को पुरुस्कृत किया गया। कार्यक्रम में अधीक्षक राममिलन प्रजापति, शिक्षक लखपती सिंह, प्रेमलाल सिंह, लखन ओझा, सुप्रिया द्विवेदी, मनोरमा सिंह, सुषमा कुशवाहा, अंजू, सुदर्शन साकेत, राममणि गोस्वामी, धर्मराज पठारी, रामकृपाल जायसवाल, शिवशंकर साकेत, भृत्य पंकज शुक्ला, मुरलीधर नपित, आरते सिंह, बबलू बैगा सहित सभी छात्र उपस्थित थे।

जिले में अवैध नशा पर प्रहार करने चला एक दिवसीय व्यापक अभियान

प्रहार 2.0 अभियान के तहत सीधी पुलिस ने की वृहद कार्यवाही, अवैध नशा से जुड़े लोगों पर 117 प्रकरण दर्ज

नवभारत न्यूज

सीधी 2 नवम्बर। पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन रीवा गौरव राजपूत द्वारा अवैध मादक पदार्थों, नशे के कारोबार और अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान प्रहार 2.0 के तहत सीधी पुलिस द्वारा विगत दिवस जिले में एक दिवसीय व्यापक अभियान चलाया गया।

यह अभियान समाज में फैल रहे नशे के दुष्प्रभावों को समाप्त करने एवं अवैध मादक पदार्थों के कारोबार पर रोक लगाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। अभियान का उद्देश्य नशे के स्रोतों पर अंकुश लगाकर युवाओं को नशे की गिरफ्त से मुक्त कर नशामुक्त समाज की स्थापना करना है। अभियान के दौरान कुल 117 प्रकरण (116 आबकार एवं 1 एनडीपीसी) पंजीबद्ध किए गए। जिसमें लगभग 580 लीटर अवैध शराब जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 1,56,760 आंकी गई। थाना मझौली पुलिस द्वारा 650 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 6500 है।

इस प्रकार कुल जब्त माल की कुल अनुमानित कीमत 1,63,260 है। अवैध शराब एवं मादक पदार्थ विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थाना मझौली पुलिस ने मादक पदार्थ गांजा का अवैध विक्रय करने वाले आरोपी चेतमणि सिंह पिता विजय सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी छवारी थाना मझौली जिला सीधी को गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीसी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। सीधी पुलिस द्वारा चलाया जा रहा यह विशेष अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। अवैध कारोबारियों, मादक पदार्थ तस्करों एवं नशे के अवैध व्यापार में लिप्त तत्वों के विरुद्ध लगातार छापेमारी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक का संदेश

अवैध मादक पदार्थों और शराब के कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सीधी पुलिस जिले को नशामुक्त बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। समाज के सभी नागरिकों से अपील है कि वे इस मुहिम में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को तुरंत दें।

एक ही दिवस में की गई बड़ी कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव तथा सभी अनुभागीय पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में जिले के समस्त थानों द्वारा एक ही दिवस में व्यापक संयुक्त कार्यवाही की गई। जिसमें 117 प्रकरण दर्ज किये गये। अवैध शराब एवं गांजा सहित कुल 1,63,260 का माल जब्त किया गया। पुलिस टीमों ने शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी करते हुए अंग्रेजी, देशी प्लेन, हांथ भट्टी महुआ शराब का अवैध विक्रय करने वालों एवं मादक पदार्थ तस्करों पर निर्णायक कार्रवाई की।